सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

File No.- NCST/DEV-1863/BR/5/2023-APCR

Date : 22.05.2024

To

Shri Shailesh Kumar Sinha
Superintendent of Police
District - Siwan,
O/o the Superintendent of Police,
Chitragupta Nagar, Siwan, Bihar- 841227
Email Id: sp-siwan-bih@nic.in

Sub: Representation dated 25.05.2023 received from Shri Ran Vijay Sah, New Delhi complaining against some persons who misbehaved with him and his family members, specially with ladies and kids and used caste- indicative words.

Sir,

I am directed to enclose herewith a copy of the Minutes of the Sitting held on 10.05.2024 under the Chairmanship of Dr. Asha Lakra, Hon'ble Member, National Commission for Scheduled Tribes on the above mentioned subject for necessary action. It is requested that compliance report may be submitted to this Commission within 15 days positively.

Encl: as above

Yours faithfully

(एच.आर मीना /H.R. Meena)
अनुसंधान अधिकारी/ Research Officer
Email ID : hari.rammeena@ncst.nic.in

Copy to:-

Shri Ran Vijay Sah,
S/o Shri Ram Pujan Sah,
Chamber No. 62,
Central Agency Section,
Supreme Court Compound,
Supreme Court of India,
New Delhi, - 110001
Mobile No:9013538903

Copy for information to:

(1) PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
(2) NIC for uploading

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

NCST/DEV-1863/BR/5/2023-APCR

श्री रणविजय साह पुत्र श्री राम पूजन साह, चैंबर न.62, सेंट्रल एजेंसी सेक्सन, सुप्रीम कोर्ट कम्पाउन्ड, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नई दिल्ली व उसके परिवार को ब्रजमोहन भगत व अन्य कुछ लोगों के द्वारा परेशान करने, जमीन पर कब्जा करने व जाति सूचक शब्दों से गाली- गलोच करने के मामले में आयोग के माननीया सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 10.05.2024 को आयोग मे हुई सिटिंग का कार्यवृत।

सिटिंग की तिथि : 10.05.2024, 12:30 P.M.
सिटिंग मे उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट

आयोग को श्री रण विजय साह, चैंबर नंबर 62, सेंट्रल एजेंसी सेक्शन, सुप्रीम कोर्ट कंपाउंड, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, नई दिल्ली से कुछ उच्च जाति के लोगों के खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई है, जिन्होंने उनके और उनके परिवार के सदस्यों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया था। जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता और उसके चार भाई गांव (ग्राम चांद पाली टोला, शिवपुर, पोस्ट-किसनपुर, मिश्रली, जिला- सीवान, बिहार) से बाहर काम करते हैं। बिहार में उनकी पैतृक संपत्ति की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। बृजमोहन भगत और उनके परिवार के सदस्यों ने उनकी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया। जब उनके परिवार के सदस्य विशेष रूप से महिलाएं वहां अकेली रहती थीं तो आरोपी व्यक्ति जबरदस्ती उनके घर में घुस आए और उनकी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मौखिक रूप से दुर्व्यवहार किया और धमकी दी। इस संबंध में उन्होंने संबंधित थाने में शिकायत की है लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की गई है।

2. इस प्रकरण में आयोग द्वारा 15 दिन की अवधि में रिपोर्ट मंगाने के किए पुलिस अधीक्षक, सीवान को दिनांक 28/06/2023 को नोटिस भेजा गया था। जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक, सीवान से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ था।

3. प्रकरण में आयोग द्वारा दिनांक 10.05.2024 को पुलिस अधीक्षक, सीवान के साथ सुनवाई/ सिटिंग तय की गयी।

4. प्रकरण की सुनवाई में पुलिस अधीक्षक, सीवान (बिहार) की ओर से आयोग के समक्ष कोई भी अधिकारी उपस्थित नहीं हुआ जिसे आयोग ने गंभीरता से लिया। । शिकायतकर्ता श्री रणविजय साह व सहयोगी श्री बी.एन.पटेल आयोग के समक्ष उपस्थित हुए। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने अवगत कराया कि वर्तमान में वो अपनी भूमि पर काबिज हैं किन्तु आरोपी ने उसे बाड़ से घेर लिया है। और अब आरोपी उनके परिजनों से गाली- गलोच एवं दुर्व्यवहार कर रहा है।

Contd...P/2

5. प्रकरण पर सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा निम्न अनुशंसाए की जाती है:-

- पुलिस अधीक्षक,सीवान आयोग के दिनांक 28.06.2023 के नोटिस का उत्तर न देने और सिटिंग में अनुपस्थिति का कारण स्पष्ट करें।
- शिकायत के आधार पर अनावेदकों/आरोपियों के विरुद्ध पुलिस प्रकरण दर्ज करे और जांच करे।
- मामले में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की सुसंगत धाराएँ लगाई जाएँ।
- पुलिस द्वारा पीड़ित परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

प्रकरण में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट/अनुपालन रिपोर्ट 15 दिनों की अवधि मे आयोग को प्रस्तुत की जाए।

आशा लकड़ा

(डॉ. आशा लकड़ा)
सदस्य,
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

Annexure

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
Case File No.- NCST/DEV-1863/BR/5/2023-APCR

List of participants

Officers from National Commission for Scheduled Tribes

Dr. Asha Lakra (In Chair)
Hon'ble Member

Smt. Miranda Ingudam
Director

Shri R.K. Dubey
Deputy Director

Shri H.R. Meena
Research Officer

Shri Vishnu Datt Saini
Investigator

Officers from O/o Superintendent of Police, Siwan, Bihar

NIL

Petitioner

Shri Ran Vijay Sah

Shri B.N. Patel